

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छीपावड़ौद जिला बारां (राजगं)

|                             |                      |                       |                    |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| प्रार्थना पत्र सं.<br>17/18 | धारा अंतर्गत<br>इकरण | ग्राम<br>छीपावड़ौद    | तहसील<br>छीपावड़ौद |
| वादी<br>श्रीकांत            | वाद शीर्षक<br>बनाम   | प्रतिवादी<br>कामल देव |                    |
| वकील :-                     | आदेश पत्रक           | वकील :-               |                    |

दिनांक 14-6-18 कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

14-6-18  
 कामल देव व श्रीकांत द्वारा इकरण  
 नाम के पत्र की गयी रिपोर्ट के अन्तर्गत  
 कार्यवाही किया गया। प्रकरण को रोक  
 किया गया। यदि इस प्रकरण के अन्तर्गत  
 कामल देव है स्थायी आदेश न है तो  
 पुनः रिपोर्ट दाखल कर दाखल रिपोर्ट  
 के अन्तर्गत है तदनुसार छीपावड़ौद को  
 किया गया पत्राचार। यदि दाखल रिपोर्ट  
 दिनांक 29-6-18 को पत्राचार है।

29-6-18  
 पत्राचार राजगं को कदम - नाम को  
 सब काम छीपावड़ौद पर काम पत्र उरी  
 तदनुसार छीपावड़ौद सब बगल कि पुनः  
 रिपोर्ट दाखल कराने 2939 दिनांक 29-6-18  
 की गयी है प्रकरण के कोर कार्यवाही किया  
 गया। यदि प्रकरण इसी तरह पर  
 होय किया जाना है पत्राचार के अन्तर्गत  
 एक बार लम्बी रकम के दाखल  
 कराने है।

ड.नं. 2939/18  
 कर दी है